भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3208
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

'विकसित भारत' उद्देश्य के अंतर्गत विमानपत्तन

3208. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्रीमती भारती पारधीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 2047 तक कुल विमानपत्तनों की संख्या 350-400 तक बढ़ाने के लक्ष्य के पीछे रणनीतिक दृष्टि क्या है और यह लक्ष्य "विकसित भारत" के राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ किस प्रकार समन्वित होगा;

(ख) नए प्रमुख हरित क्षेत्र विमानपतनों जैसे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के लक्षित संचालन के माध्यम से आस-पास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को किस प्रकार गति दी जाएगी;

(ग) विदेशी सेवाओं पर निर्भरता कम करने हेतु "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" पहलों के तहत स्वदेशी विनिर्माण तथा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन-से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) भारत को पर्यावरणीय रूप से सजग उड्डयन में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य से सरकार अस्सी से अधिक विमानपत्तनों पर सौ प्रतिशत हरित ऊर्जा अपनाने और सतत विमानन ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने सहित सतत विमानन पर किस प्रकार ध्यान केंद्रित कर रही है; और

(ङ) देश भर में विमानपत्तनों के वित्तपोषण और विकास के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों और निजी हितधारकों के साथ किस प्रकार समन्वय करेगी?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): ग्रीनफील्ड परियोजनाओं सहित हवाईअड्डों का विकास और प्रचालन, समावेशी आर्थिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देकर विकसित भारत की प्राप्ति करने के लिए एक रणनीतिक पहल है। यह दूरदराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा, लॉजिस्टिक को बढ़ाएगा और रोजगार का सृजन करेगा। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे जैसे प्रमुख ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों से संपर्क में सुधार करके, औद्योगिक गलियारों और लॉजिस्टिक्स हब को सक्षम करके और निवेश को आकर्षित करके आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक और शहरी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

(ग): भारत सरकार मेक इन इंडिया पहल के तहत क्षेत्रीय परिवहन विमान और सम्बद्ध उपकरण सहित विमान विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रही है।

भारत सरकार ने देश में स्वदेशी विनिर्माण और एमआरओ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसे विमान के हिस्सों, घटकों, परीक्षण उपकरण, औजारों और टूल-किट के आयात पर एचएसएन वर्गीकरण पर विचार किए बिना एकसमान 5% आईजीएसटी का लागू करना, वर्ष 2021 में एमआरओ दिशानिर्देश तैयर करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रॉयल्टी को समाप्त कर दिया गया, एएआई हवाईअड्डों पर भूमि आवंटन में पारदर्शिता और निश्चितता सुनिश्चित करना, एमआरओ सेवाओं में लगे विदेशी पायलटों और चालक दल के लिए वीजा मैनुअल में संशोधन, मरम्मत के लिए आयातित माल के लिए निर्यात अवधि का छह माह से बढा कर एक वर्ष करना, और वारंटी के तहत मरम्मत के लिए माल के पुन: आयात के लिए समय सीमा तीन वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष करना ।

(घ): वर्तमान में, देश में कुल 93 हवाईअड्डों ने 100% हरित ऊर्जा का उपयोग अपना लिया है। चार (04) हवाईअड्डों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु ने हवाईअड्डा अंतरराष्ट्रीय परिषद (एसीआई) के उच्चतम कार्बन एक्रेडिटेशन लेवल 5 को हासिल कर लिया है और वे कार्बन न्यूट्रल बन गए हैं। सरकार ने शुरू में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पारंपरिक विमानन ईंधन में संवहनीय विमानन ईंधन (एसएएफ) के मिश्रण के लिए वर्ष 2027 तक 1%, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% के सांकेतिक लक्ष्यों को मंजूरी दी है।

(ड.): भारत सरकार ने देश भर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति तैयार की है। नीति के अनुसार, राज्य सरकार सहित हवाईअड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाले परियोजना प्रस्तावक को 2-चरणीय अनुमोदन के लिए अर्थात 'साइट क्लीयरेंस' के बाद 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। परियोजना के विभिन्न पहलुओं जैसे भूमि, बाधा हटाने, परियोजना वित्तपोषण और इसकी व्यवहार्यता के साथ प्रस्ताव पर एमओसीए द्वारा विभिन्न विभागों/संगठनों और संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जाता है और उसके बाद, परियोजना को मंजूरी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, नीति के अनुसार परियोजना वित्तपोषण सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की होती है। हालांकि, एमओसीए ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा करता है जहां 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी प्रदान कर दी गई हो और यदि कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए सहायता प्रदान करता है।
